बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः– पटना, दिनांक– /2019
सं0सं0–ह0क0 (13) योजना (ह0व0 पर छूट) –01/2019
प्रेषकः

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

*अनौपचारिक रूप से पर्रामशित

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में "खादी वस्त्रों की भाँति हस्तकरघा वस्त्रों के बिक्री पर 10% (दस) छूट देने की योजना" हेतु ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख) मात्र की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में "खादी वस्त्रों की भाँति हस्तकरघा वस्त्रों के बिक्री पर 10% (दस) छूट देने की योजना" हेतु ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख) स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक–07.08.2018 को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस 2018 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा हस्तरकरघा प्रक्षेत्र के बुनकरों के विकास के लिए यह घोषणा की गई कि "बिहार में हस्तकरघा पर उत्पादित वस्त्रों पर खादी की भाँति बिक्री पर छूट दी जाएगी, ताकि खरीदने वाले को कम दाम में सामान मिल सके"

उक्त घोषणा के अनुपालन में 1 फरवरी 2019 से बिहार में हस्तकरघा पर उत्पादित वस्त्रों पर खादी की भाँति बिक्री पर 10% छूट देने का निर्णय लिया गया है। इससे हस्तकरघा उत्पादित वस्त्रों के बिक्री में बढ़ोतरी होगी। हस्तकरघा उत्पादित वस्त्र लोकप्रिय होगा। बाजार की मांग की पूर्ति हेतु हस्तकरघा बुनकरों के उत्पादन में वृद्धि होगी। फलस्वरूप उनकी आय बढ़ेगी। जीवन स्तर में सुधार होगें।

इस योजना के क्रियान्वयन एजेन्सी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना होगा जो निम्नवत क्रियान्वयन करेंगे।

- इस छूट का लाभ बिहार राज्य के प्राथमिक हस्तकरघा बुनकर सहयोग समितियों के वस्त्र उत्पादन (production) पर मिलेगा। जिसके एवज में लाभुक प्राथमिक हस्तकरघा बुनकर सहयोग समिति को अपने द्वारा उत्पादित हस्तकरघा वस्त्रो की बिक्री में 10% छूट का लाभ खरीद्दारों को देना होगा। इस प्रकार छूट देने का प्रमाण, इस योजनान्तर्गत छूट का दावा के साथ संलग्न करना होगा।
- प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियाँ जिनका निर्वाचन एवं अंकेक्षण अद्यतन हो, उनके हस्तकरघा वस्त्र उत्पादन पर छूट का दावा पर ही विचार किया जाएगा।
- यह अनिवार्य होगा कि उक्त समितियाँ हैण्डलूम मार्क से निबंधित हो, उनके द्वारा उत्पादित वस्त्रों में लगने वाला सूत का क्रय NHDC के माध्यम से किया गया हो तथा उसी सूत से वस्त्र तैयार किया गया हो। उस सूत की कीमत का 10% + अनुमान्य GST सहित हस्तकरघा वस्त्र उत्पादन पर छूट का दावा की गणना की जाएगी।
- प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति अपने त्रैमासिक हस्तकरघा वस्त्र उत्पादन पर छूट का दावा राज्य संघ से करेंगे इसका प्रमाण दावा के साथ संलग्न करना होगा।
- बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना, प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति से त्रैमासिक दावा प्राप्त होने पर समिति का स्थल निरीक्षण कर दावा के साथ संलग्न कागजातों का मूल अभिलेखों से मिलान करेंगे तथा यह सत्यापित करेगे कि समिति द्वारा दिया गया दावा सही है। इसके उपरान्त समिति का अनुमान्य छूट की राशि सीधे उनके बैंक खाता में हस्तान्तरित करेंगे। इस प्रक्रिया के अधिकतम 15 दिन लगाएगे।

3. स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, हथकरघा उद्योग, 23–उद्योग विभाग, उप शीर्ष–0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–**23-2851.00.103.0103** राज्य योजना के अन्तर्गत विषय शीर्ष–0103, 31. 01 सब्सीडी ₹ 5.00 लाख विकलित होगा। जिसके लिए आय–व्ययक वर्ष 2018–19 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

4. इस योजना में "स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी **BTC-25** पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर एक मुश्त कर बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना के खाता में/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लाभुक समिति अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को समर्पित करेंगे। प्रबंधक, निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना इस योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि सहित अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगे।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो समय–समय पर इसकी समीक्षा, अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण करेंगे।

7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या–ह0क0 (13) योजना (ह0व0 पर छूट) –01/2019 के पृष्ट–4/टि0 पर दिनांक–08.01.2019 को प्राप्त है।

8. इस राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–ह0क0 (13) योजना (ह0व0 पर छूट)–01/2019 के पृष्ट– 7/टि0 पर दिनांक–11.01.2019 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

10. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0(2) दि0–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि(2) दि0–17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दि0–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 353 पटना, दिनांक– 15-01-19

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/अपर उद्योग निदेशक(तक0), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा), उद्योग निदेशालाय/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा), उद्योग विभाग/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/मधुबनी/सीवान/बांका/रोहतास/कैमूर/नालन्दा/नवादा/औरंगाबाद/उप विकास पदा0(वस्त्र), भागलपुर/गया/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

IT